रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

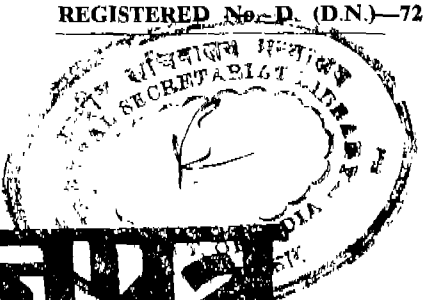

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 68] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 1, 1982/फाल्गुन 10, 1903
No. 68] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 1, 1982/PHALGUNA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1982

सा० का० नि० 232(अ)—संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, संसद् सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, जो राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित रूप में अनुमोदित और पुष्ट कर दिए गए हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद् सदस्य (यात्रा) और दैनिक भत्ते संशोधन नियम, 1982 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संसद् सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957 में—

(क) नियम 18क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"18ख (1)—प्रत्येक सदस्य जैसे ही वह संसद् के किसी भी सदन के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित होता है, नाम-निर्देशिती को विशिष्टियां उल्लिखित करते हुए प्ररूप 'क' में नामनिर्देशन संसद् के संबंधित सदन के सचिवालय को जो सदस्य की मृत्यु होने की दशा में उस सदस्य की अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय और उसकी मृत्यु के समय तक असंदत्त वेतन, अतिरिक्त सुविधा भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे आदि प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक नामनिर्देशिती संदाय का दावा करने के पूर्व उस सदन के सचिवालय को, जिसके लिए मृत सदस्य निर्वाचित या नामनिर्देशित हुआ था, प्ररूप "च" में एक बंधपत्र देगा ।"

(ख) प्ररूप "घ" के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत: स्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

"प्ररूप क"

(नियम 18ख (1) देखिए)

नामनिर्देशन प्ररूप

(दो प्रतियों में भरा जाएगा)

मैं,.....सदस्य, लोक सभा, राज्य सभा इसके द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता हूं जो मेरे परिवार का सदस्य है/के सदस्य हैं और उसे/उन्हें लोक सभा राज्य सभा सचिवालय द्वारा मुझे शोध्य तथा असंदत्त वेतन/अतिरिक्त सुविधा भत्ता/

यात्रा/दैनिक भत्ता/चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे और कोई अन्य भत्ते तथा दावे मेरी मृत्यु होने की दशा में, प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूं ।

मूल नामनिर्देशिती			आनुकल्पिक नामनिर्देशिती		
नामनिर्देशिती का नाम और पता	सदस्य से संबंध	आयु	नामनिर्देशिती का नाम और पता	सदस्य से संबंध	आयु

तारीख 19

स्थान ....

हस्ताक्षर के साक्षी

1 ....

नाम ....

(पता) ....

....

2. ....

सदस्य के हस्ताक्षर

नाम .... नाम ....

पता .... क्रम सं० ....

....

टिप्पण.—

सदस्य को सलाह दी जाती है कि यह उसके नामनिर्देशिती के हित में होगा कि नामनिर्देशन पत्रों तथा संबंधित सूचनाओं और अभिस्वीकृतियों की प्रतियां सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएं ताकि सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में वे हिताधिकारियों को प्राप्त हो सकें ।

प्ररूप "ख"

(नियम 18ख (2) देखिए)

लोक सभा/राज्य सभा के मृत सदस्य को शोध्य वेतन, अतिरिक्त सुविधा भत्ता, यात्रा और दैनिक भत्ता तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा और अन्य भत्ते तथा दावों की बकाया रकम लेने के लिए क्षतिपूर्ति बंधपत्र का प्ररूप

श्री .... अपनी मृत्यु के समय लोक सभा/राज्य सभा
(मृतक का नाम)
के सदस्य थे और उनको रुपये ( ) की रकम (उनके उक्त पद की बाबत वेतन, अतिरिक्त सुविधा भत्ता, यात्रा तथा दैनिक भत्ता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के लिए) शोध्य थी और आबद्ध व्यक्ति .... (जिसे इसमें इसके पश्चात्
(दावेदार का नाम)
"दावेदार" कहा गया है) उक्त रकम की बाबत श्री ....
(मृतक का नाम)
के वारिस के रूप में उक्त रकम का हकदार होने का दावा करता है/करती है किन्तु उसने उक्त श्री .... की सम्पत्ति और
(मृतक का नाम)
चीजबस्त जिसके अन्तर्गत .... रुपये (रु० ....) की उक्त रकम है, प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त नहीं किया है । और दावेदार ने लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय का समाधान कर दिया है कि वह पूर्वोक्त रकम का/की हकदार है और यह कि यदि दावेदार से उक्त श्री .... की सम्पत्ति और
(मृतक का नाम)
चीजबस्त की बाबत (जिसके अन्तर्गत .... रु०) (.................. रु०) की उक्त रकम है, प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पेश करने की अपेक्षा की जाएगी तो इसमें असम्यक् विलम्ब और कष्ट होगा ।

और लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय यह चाहता है कि दावेदार को उक्त रकम का संदाय कर दिया जाए किन्तु इससे पहले कि दावेदार को उक्त रकम का संदाय किया जाए वह एक प्रतिभू/दो प्रतिभुओं सहित एक बंधपत्र उन सभी दावों मद्दे जो लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय की क्षतिपूर्ति करने और उसे क्षतिपूरित और हानिरहित रखने के लिए हो, निष्पादित करे जो उक्त श्री .... को उपरोक्त रूप
(मृतक व्यक्ति का नाम)
में शोध्य रकम की बाबत किए जाएं ।

इस विलेख से सब को ज्ञात हो कि मैं ....
(दावेदार का पूरा नाम और निवास)
....
स्थान का पता) (मृतक से संबंध कथित करें)
और मैं/हम ....
(प्रतिभू या प्रतिभुओं के पूरे नाम)
जो उसकी ओर से प्रतिभू है, भारत के राष्ट्रपति के प्रति .... रुपये (रु०) की रकम का राष्ट्रपति को संदाय करने के लिए दृढ़तापूर्वक आबद्ध हैं । इस रकम का संदाय पूर्णतः और सही रूप में करने के लिए हम में से प्रत्येक इस विलेख द्वारा स्वयं को और अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और समनुदेशितियों को संयुक्ततः और पृथकतः दृढ़ता पूर्वक आबद्ध करते है ।

परन्तु यह कि यदि दावेदार को .... रुपए (.................. रु०) की उक्त रकम का संदाय कर दिया जाता है तो दावेदार या उसका/उसके प्रतिभू किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा .... रुपए (.................. रु०) की पूर्वोक्त रकम या उसके किसी भाग की बाबत लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय के विरुद्ध दावा किए जाने की दशा में उक्त रकम या उसके ऐसे भाग का जिसका व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा दावा किया जाए, संदाय करेंगे या करवायेंगे या लोक सभा राज्य सभा सचिवालय की, पूर्वोक्त रकम और उसके सम्बन्ध में किए गए किसी दावे के परिणामस्वरूप उपगत सभी खर्चों से संबंधित सभी दायित्वों से अन्यथा उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे और उसको हानिरहित रखेंगे तो उपरिलिखित बंधपत्र या आबंधता शून्य हो जाएगी अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त और बलशील बनी रहेगी ।

उक्त लिखित बंधपत्र के साक्ष्यस्वरूप, हम

साक्षी (1) (उपरिलिखित नामित दावेदार)
साक्षी (2) (उपरिलिखित नामित प्रतिभू)
साक्षी (3) (उपरिलिखित नामित प्रतिभू)
ने आज तारीख 19 को इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं

[फा० सं० आर० एस० 8/81-एम० एस० ए०]

सुदर्शन अग्रवाल, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 1st March, 1982

G.S.R. 232 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section,

after consultation with the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States, and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of the said section, namely :--

1. (i) These rules may be called the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Amendment Rules, 1982.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances, Rules, 1957,—

(a) after rule 18A, the following rule shall be inserted, namely

"18 B (1) Every Member shall, as soon as he is elected or nominated to either House of Parliament, lodge with the Secretariat of the concerned House of Parliament a nomination in Form 'E' stating the particulars of the nominee who shall, in the event of such Member's death be entitled to receive the salary additional facilities allowance, travelling allowance, daily allowance, medical reimbursement claims and any other allowances and claims whatsoever, payable to such Member under the provisions of the Act and the rules framed thereunder for the time being in force and which remain unpaid to him at the time of his death.

(2) Every nominee under sub-rule (1) shall before claiming payment furnish a bond in Form 'F' to the Secretariat of the House to which the deceased Member was elected or nominated." ;

(b) after form 'D' the following Forms shall be inserted namely:--

Form 'E'

[See rule 18B (1)]

NOMINATION FORM

(TO BE FILLED IN DUPLICATE)

I———— Member of Lok/Rajya Sabha hereby nominate the person(s) mentioned below who is/are member(s) of my family and confer on him/them the right to receive Salary/Additional Facilities Allowance/ Travelling/Daily Allowance/ Medical Reimbursement Claims and any other allowances and claims whatsoever which becomes due to me from the Lok/Rajya Sabha Secretariat and remain unpaid to me in the event of my death.

ORIGINAL NOMINEE		ALTERNATIVE NOMINEE	
Name and address of nominee	Relationship age with Member	Name and address of nominee	Relationship age with Member

Dated this———day of ———19

at————

Witness to signature

1.————

Name————

(Address) ————

2. ———— SIGNATURE OF MEMBER

Name———— NAME————

Address ———— ————

———— SERIAL NO.————

NOTE: The member is advised that it would be in the interest of his nominee if copies of the nominations and the related notices and acknowledgements are kept in safe custody so that they may come into the possession of the beneficiaries in the event of his death.

Form 'F'

[See Rule 18B (2)]

FORM OF BOND OF INDEMNITY FOR DRAWING ARREARS OF SALARY, ADDITIONAL FACILITIES, ALLOWANCE, TRAVELLING AND DAILY ALLOWANCES, MEDICAL REIMBURSEMENT CLAIM AND ANY OTHER ALLOWANCES AND CLAIMS WHATSOEVER DUE TO A DECEASED MEMBER OF LOK/ RAJYA SABHA.

WHEREAS..... was at the time of his death
(name of deceased)
a Member of Lok/Rajya Sabha and there was due to him the sum of Rupees..... Rs. .....(for Salary, Additional Facilities Allowance, Travelling and Daily Allowances and Medical Reimbursement Claim in respect of his said office) AND WHEREAS the bounden .....
name of
..... (Hereinafter called the Claimants
Claimant") claims to be entitled to the said sum as heir/heiress of the said..... but has
(name of deceased)
not obtained letters of administration of or a succession certificate to the property and effects of the said.....
name
.....including the said sum of
of deceased)
Rupees..... Rs. ..... AND WHEREAS the Claimant has satisfied the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat that he /she is entitled to the aforesaid sum and that it would cause undue delay and hardship if the Claimant were required to produce letters of administration of or a succession certificate to the property and effects of the said .....
(name
.... including the said sum of
of deceased)
Rupees..... Rs.....

AND WHEREAS the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat desire to pay the said(sum of Rupees ..... Rs.....
to the Claimant but require the claimant first to execute a bond with one surety/two sureties to indemnify and keep indemnified and harmless the Lok Sahba/Rajya Sabha Secretariat against all claims to the sum of Rupees ..... Rs.....
due as aforesaid to the said .....
(name of deceased)
before the said sum can be paid to the Claimant.

KNOW ALL MEN by these presents that I, ...
(Full name of
.....
(Claimant with place of residence) (State relationship to the deceased)
and I/We.....
(Full name or names of sureties)
sureties for him/her are held firmly bound to the President of India in the sum of Rupees ..... Rs.....
to be paid to the President, FOR WHICH Payment to be well and truly made, each of us jointly and severally binds himself and his heirs, executors, administrators and assigns firmly by these presents.

PROVIDED that if after payment of the said sum of Rupees ..... Rs. ..... has been made to the Claimant, the Claimant or the surety/sureties shall, in the event of a claim being made by any other person(s) against the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat with respect of the aforesaid sum of Rupees ..... Rs. ..... or any part thereof pay, or cause to be paid, the said sum or such part thereof as may be the subject of claim by third person(s) or shall otherwise indemnify and save the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat harmless from all liability in respect of the aforesaid sum and all cost and expenses incurred in consequence of any such claim thereto THEN the above written bond or obligation shall be void BUT OTHERWISE the same shall remain in full force and virtue.

IN WITNESS WHEREOF WE

WITNESS(1)..... (claimant above named)

WITNESS(2)..... (Surety above named)

WITNESS(3).....(Surety above named)

have hereunto set out hands this ..... day of 19

[F.No. RS. 8/81-MSA]

SUDARSHAN AGARWAL, Secy. General

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982